न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 34/21(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2021/124

उनवान

1. मोहन सिंह पुत्र राजाराम
2. वीरी सिंह पुत्र राजाराम
3. अंगूरी वेवा राजाराम
4. बाबू पुत्र अतर सिंह
5. केदार पुत्र अतर सिंह
6. रामढकेली पत्नि मान सिंह
7. बच्चू सिंह पुत्र मान सिंह
8. कोक सिंह पुत्र मान सिंह
9. भोलाराम पुत्र मान सिंह

जाति जाट निवासी अजनौली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

10. गुड्डी पुत्री मान सिंह पत्नि रमेशचन्द जाति जाट निवासी सामरा तहसील फतेहपुर सीकरी जिला आगरा।
11. भूरी सिंह पुत्र बुद्धाराम
12. महाराज सिंह पुत्र बुद्धाराम
13. नरेश पुत्र गिर्राज सिंह
14. पिन्टू पुत्र गिर्राज सिंह
15. सावित्री वेवा गिर्राज सिंह
16. धीरी सिंह उर्फ धीरो पुत्र दीपा
17. महेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह
18. गोविन्द सिंह पुत्र हरी सिंह
19. तेज सिंह पुत्र हरी सिंह
20. रघुवीर पुत्र हरी सिंह

जाति जाट निवासी अजनौली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

21. सुनीता पुत्री हरी सिंह पत्नि श्यौराज सिंह जाति जाट निवासी नगला गरीबा तहसील सादाबाद।
22. विजय सिंह पुत्र राम सिंह
23. राजेन्द्र सिंह पुत्र जोरावर
24. अमृत सिंह पुत्र जोरावर
25. लोकमन सिंह पुत्र भगवान सिंह
26. लक्ष्मण सिंह पुत्र भगवान सिंह
27. प्रेम सिंह पुत्र भगवान सिंह

जाति जाट नि0 अजनौली तह0 बयाना जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

28. ममता देवी पुत्री भगवान सिंह पत्नि सुल्तान सिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
29. श्रीमती भगवती वेवा बाबू सिंह
30. भूप सिंह पुत्र बाबू सिंह
31. अनूप सिंह पुत्र बाबू सिंह
32. जल सिंह पुत्र बाबू सिंह

} जाति जाट नि0 अजनौली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

33. तारादेवी पुत्री बाबू सिंह पत्नि विजय सिंह जाति जाट निवासी छौंकरवाडा जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती झन्झी उर्फ रामदुलारी पत्नि दीपू उर्फ दीपचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महनौली तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. परभाती पुत्र मूला जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना (मृतक)
   2/1. पूरन पुत्र परभाती जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना।
   2/2. सोना पुत्र परभाती जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना।
   2/3. निहाल पुत्र परभाती जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना।
   2/4. उदयभान पुत्र बाबू जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना।
   2/5. किन्ना पुत्री बाबू जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना।
   2/6. गुल्ला पुत्री बाबू जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना।
   2/7. माया पुत्री बाबू जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना ।
3. मोहनी पुत्र कलुआराम जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. धर्म सिंह पुत्र कलुआराम जाति धीमर निवासी बासरौली तहसील बयाना।

..... असल रेस्पोंडेंट ।

5. महादेवी पुत्री अतर सिंह पत्नि रतन सिंह जाति जाट निवासी बाजना कला तहसील हिण्डौन जिला करौली।
6. श्रीमती सुनीता पुत्री गिर्राज सिंह पत्नि महेश कुमार जाति जाट निवासी बाजना कला तहसील हिण्डौन जिला करौली।
7. श्रीमती अनीता पुत्री गिर्राज पत्नि सतीश कुमार जाति जाट निवासी बाजना कला तहसील हिण्डौन जिला करौली।
8. प्रेमवती पुत्री राजाराम वेवा हरमल जाति जाट निवासी खेडा भोपर तहसील किरावली जिला आगरा।
9. शान्ति पुत्री राजाराम पत्नि परशुराम जाति जाट निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 19.06.2006 प्र.सं 30/03 उनवानी मोहन सिंह बनाम झन्झी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महेन्द्र भूषण शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुनील गर्ग उपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.05.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 19.06.2006 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम अजनौली को वादीगण चालीसो वर्षो से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। किन्तु विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में निष्क्रान्त भूमिं होना व श्री नारायन बल्द रंजीता जाति ब्राहम्ण व खुन्नी बल्द नन्दराम धीमर निवासी बॉसरौली निस्फ का कृषक अंकित है। उक्त खुन्नी धीमर निवासी बॉसरौली पचासो वर्ष पूर्व मर चुका है। जिसके वारिस मूल प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 04 नहीं है व मूल प्रतिवादनी संख्या 01 ने अपने को नारायन की पुत्री बताया है। विवादित आराजीयात पर मूल प्रतिवादीगण रैस्पो0 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही नारायन व खुन्नी का ही रहा है। प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 07.05.2001 को खारिज हो चुका है। वादीगण के कब्जे की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गयी जो रिपोर्ट से सिद्ध है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने भी दिनांक 02.03.2001 को जॉच की गयी जिसमें मूल प्रतिवादी रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है। अतः विवादित आराजी पर वादीगण के पचासो वर्ष पूर्व कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन

निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी पर पिछले चालीसो वर्ष से अपीलाण्ट का बतौर शिकमी कब्जा काश्त है। जमाबन्दी संवत 2042–45 में विवादित आराजी कस्टोडियन दर्ज है। प्रतिवादी रैस्पो0 का पूर्वज खुन्नी करीब 50 वर्ष पूर्व मर गया एवं लाऔलाद फौत हुआ, तभी से विवादित आराजी प्रतिवादी रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। प्रतिवादी रैस्पो0 झंझी पुत्री नारायण, नारायण की पुत्री बनकर आयी है। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2001, 02.03.2001, 12.09.1997 में विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त अंकित है। यदि रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होता तो राशि जमा कराकर खातेदारी अधिकार क्यों प्राप्त नहीं किये। तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट के पक्ष में है। तनकी संख्या 05 अपीलाण्ट के पक्ष में एवं रैस्पो0 के विरूद्ध जायेगी क्योंकि तनकी संख्या 01 अपीलांट के पक्ष में साबित है। जमाबंदी संवत 2042–45 में शिकमी 24 साल अंकित है। सन् 2002 में नामान्तकरण संख्या 122 खुन्नी की विरासत का खुला जिसमें लाऔलाद फौत होना एवं वारिसो के नाम चढाने पर भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में कब्जा नहीं होना बताया, हालांकि इसे पंचायत ने स्वीकार कर लिया क्योंकि विरासतन भूमि पर कब्जा नहीं देखा जाता। प्रतिवादी रैस्पो0 के पास ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि उनके विवादित आराजी पर गैर खातेदारी अधिकार किस प्रकार आये एवं अपने गैर खातेदारी के स्त्रोत को साबित करने का भार भी प्रतिवादी रैस्पो0 पर ही है। परन्तु उन्होनें कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना करते हुये, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं रैस्पो0 को पक्षकार मुकदमा बनाया और हमें वारिस भी नहीं मान रहे हैं। विवादित आराजी पर किस हैसियत से काबिज काश्त हैं, वाद पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया। वाद पत्र की मद संख्या 3 में राजस्व वाद संख्या 95/96 तथा 694/98 पूर्व में खारिज होना बताये परन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। नारायण एवं खुन्नी लाऔलाद फौत हुये, ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट के पास नहीं है। अपीलाण्ट का घोषणात्मक वाद है परन्तु नाम किसके कलमजन करने हैं यह वाद पत्र में अंकित नहीं है। कब्जा की रिपोर्ट किस आदेश से एवं क्यों बनाई गयी, स्पष्ट नहीं हैं एवं रिपोर्ट में खुन्नी के वारिसो के बारे में निर्णय अस्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय में जो गवाह/जिरह हुयी है, उससे भी कब्जा काश्त अपीलाण्ट का साबित नहीं होता है। हरी सिंह जिरह में उपस्थित नहीं हुआ अतः साक्ष्य में नही पढी जावेगी। बाबू सिंह को खसरा नम्बर ही नही पता। झंझी की जिरह नहीं हुयी अतः उसे भी नहीं पढा जावेगा। पीडब्लू 4 ने जमीन 15–16 बीघा बताई जबकि विवादित जमीन 02 बीघा 4 विस्वा है। विवादित आराजी पर शिकमी के इन्द्राज वादी अपीलाण्ट के पिता/दादा के हैं, स्वयं वादी अपीलाण्ट के नाम कोई इंद्राज नहीं है। वैसे भी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पुत्र गिर्राजसिंह जाति जाट निवासी अजनौली तह0

शिकमी के अधिकार विरासतन प्राप्त नहीं होते हैं। अतः विवादित आराजी पर शिकमी दर्ज होने से वादी अपीलाण्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपील अपीलाण्ट सारहीन होने क कारण काबिले निरस्तनीय है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2042 से 45 में विवादित आराजी पर काश्त वादी अपीलाण्ट के पिता व स्वयं वादी अपीलाण्ट शिकमी साल 24 दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2051 से 2070 तक विवादित आराजी पर नारायन पुत्र रंजीता कौम ब्राहम्ण 1/2 व खुन्नी पुत्र नन्दराम कौम धीमर 1/2 कृषक कस्टोडियन दर्ज है। रैस्पो0 संख्या 01 स्वयं को नारायन की वारिस बताते हैं एवं रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 स्वयं को खुन्नी का वारिस बताते हैं। विवादित आराजी बाबत रैस्पो0 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 122 भी पंचायत ने दर्ज किया गया परन्तु वह अपील में खारिज होकर रिमाण्ड किया गया है, जो आदिनांक तक अंतिम तौर पर निस्तारित नहीं हुआ है। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर स्वयं के पुराने कब्जे एवं शिकमी के आधार पर खातेदारी अधिकार का दावा करते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हुये नारायन व खुन्नी के वारिस होना बताकर विवादित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकार बताते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा विवादित आराजी को कस्टोडियन होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण खारिज किया है। किन्तु राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार कस्टोडियन भूमि बाबत् वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 19.06.2006 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 28.06.2024 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर